



-प्रेस नोट-

दिनांक - 28.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश
थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सलमान खान पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम बीबीपुर थाना बुढिया जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा वादी की पत्नी से दुष्कर्म करने की सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0स0-322/2024 धारा 87/64 बीएनएस के पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के मामलें में वांछित अभियुक्त सलमान खान पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम बीबीपुर थाना बुढिया जिला यमुनानगर हरियाणा को शुलभ शौचालय चिलकाना तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

सलमान खान पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम बीबीपुर थाना बुढिया जिला यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
2. हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 28.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वर्ष 2022 से दाखिल आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के 44 मुकदमों में माल मुकदमाती करीब 1200 लीटर अवैध शराब (अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये) का माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गयी

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन क्लीन" व माल मुकदमाती माल निस्तारण के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में दिनांक 23.11.2024 के क्रम में श्री पंकज निर्वाहल (नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर) की अध्यक्षता में तथा श्री मुनीष चन्द क्षेत्राधिकारी नगर दितीय, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री विकास कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी, श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक आबकारी व श्री सूबे सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार सहारनपुर के नेतृत्व में तथा निरीक्षक श्री विपिन त्यागी व हेड मोहरीर कालूराम की मौजूदगी में आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अवैध शराब के कुल 44 मुकदमों में माल मुकदमाती करीब 1200 लीटर अवैध शराब (अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये) को प्रांगण थाना सदर बाजार मे जे०सी०बी० मशीन द्वारा गड्ढा खुदवाकर समस्त माल का विनिष्टीकरण कराया गया। मालो का नमूना सुरक्षित रखा गया व कार्यवाही के दौराना वीडियो ग्राफी करायी गयी।

विनिष्टीकरण कराने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री मुनीषचन्द क्षेत्राधिकारी नगर दितीय सहारनपुर
2. श्री पंकज निर्वाहल नायब तहसीलदार तहसील सदर सहारनपुर
3. श्री विकास कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री शैलेन्द्र कुमार निरीक्षक आबकारी सहारनपुर
5. श्री सूबेसिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. निरीक्षक श्री विपिन त्यागी थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. हेड मोहरीर 493 कालूराम थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 28.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.11.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त मांगा उर्फ अरुण पुत्र जनेश्वर नि0 ग्राम बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या 73/2024 व मु0अ0स0 248/2023 धारा 60/63 आबकारी एक्ट थाना रामपुर मनिहारान (माननीय न्यायालय जे0एम0-प्रथम सहारनपुर) को ग्राम बागाखेडी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मांगा उर्फ अरुण पुत्र जनेश्वर नि0 ग्राम बागाखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0स0 308/13 धारा 323/323/324/324/325/325/427/427/506/506 भादवि व 3(1)(10) एससी/ एसटी एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. है0का0 1068 दीपकमान थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. का0 1887 अंकित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर